26/11/19- पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पैरो० सरकार आ।
पत्रावली पर गत पेशी पर बहस सुनी जा चुकी है।
पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। आदेश
सुनाया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डिक्री
जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

सहायक कलक्टर
([illegible]) बूंदी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 35/2019

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 07/03/2019

निर्णय दिनांक : 26/11/2019

1. रूपनारायण पुत्र झूथा, जाति जाट, निवासी जान्दूओं की ढाणी पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. नन्दू पत्नी मदनलाल पुत्री झूंथा राम, जाति जाट, निवासी रामपुरा भुरटिया हाल निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
3. भंवरी पत्नी रामसुख पुत्री झुथाराम, जाति जाट, निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. मनभर पत्नी झूथा, जाति जाट, निवासी रामपुरा भुरटिया, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– वादीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादी

वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 26/11/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 के खाता संख्या 70 के आराजी खसरा नम्बर 5/1154 रकबा 06 बीघा बारानी कुल किता 01 कुल रकबा 06 बीघा आराजी वाके ग्राम पालुकलां, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जिसके वादीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी वादीगण के पिता/पति के नाम दर्ज

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

ादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। . 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति झुथा के नाम दर्ज चली आ रही है तथा ान में विवादित आराजीयात पर वादीगण काबिज काश्त है तथा बजमाने बुजुर्गान वादीगण के पिता/पति काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं राजस्व रकुनानों द्वारा विवादित आराजीयात में झुथा पुत्र माधू के स्थान पर झुथा पुत्र बींजा र्ज कर दिया है, चूंकि वादीगण के पिता/पति झुथा पुत्र माधू को झुथा पुत्र बींजा के म से भी जाना जाता था, इसलिये न्यायहित में झुथा पुत्र बींजा के स्थान पर झुंथा त्र माधू दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। विवादित आराजीयात में वादीगण ण 1/4, 1/4 हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं विवादित आराजीयात में वादीगण को 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति का स्वर्गवास दिनांक 20/04/2018 को हो चुका है वादीगण दिनांक 25/01/2019 को नामान्तरकरण खुलवाने बाबत पटवारी से जमाबन्दी निकलवायी तो वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी, जिस पर वादीगण ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्ती करवाने हेतु पटवारी हल्का के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर पटवार हल्का ने न्यायालय में चाराजोंही करने की हिदायत दी, इसलिये वादीगण को उक्त वाद–पत्र पेश करना लालिमी हुआ हैं।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि विवादित आराजीयात के वादीगण के पिता/पति गलत इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर झुथा पुत्र बींजा के स्थान पर झुथा पुत्र माधू प्रतिस्थापित किया जावें एवं पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें। वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वादीगण के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 70 की आराजी खसरा नम्बर 5/1154 में हिस्सा 1/4, 1/4 बराबर–बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 18/09/2019 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। तनकीयात कायम की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान पांचूराम व रामलाल के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) दूदू

Scanned by CamScanner

शपथ–पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश न कर बहस कर ना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात जमाबन्दी, फर्द मौका पर्चा एवं प्रतिवादी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 के अनुसार विवादित आराजी में खातेदार झुथा पुत्र बींजा कौम जाट सा0 देह दर्ज है, जबकि वादीगण ने अपने वाद–पत्र में अपने पिता का सही एवं वास्तविक नाम झुथा पुत्र माधू होना अंकित करते हुये उसे दुरूस्त करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहा हैं इस सम्बन्ध में फर्द मौका पर्चा के अनुसार "मुताबिक रेकार्ड ग्राम पालूकलां में आराजी खसरा नम्बर 5/1154 रकबा 06 बीघा झुथा पुत्र बींजा जाट निवासी पालूकलां के नाम से दर्ज हैं वादी रूपनारायण पुत्र झूंथा जाट ने वाद संख्या 37 दिनांक 07/03/2019 में कथन किया है कि उसके पिता का नाम झूंथा था एवं उसके दादा का नाम माधू था, जिसको रिकार्ड में बींजा दर्ज कर दिया गया है, अतः रिकार्ड की शुद्धि की जावें। उपस्थित मौतविरानों ने जानकारी दी कि झूंथा जाट गांव में पहले मौजूद था जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है एवं झूंथा के पिताजी का नाम माधू था एवं माधू को ग्राम में बींजा के नाम से भी पुकारते थे। माधू का घर का नाम बींजा था। झुथा पुत्र बींजा एवं झूंथा पुत्र माधू एक ही व्यक्ति का नाम हैं। झूंथा पुत्र बींजा नाम से ग्राम में अलग से कोई व्यक्ति नही रहा था एवं न ही अब हैं।"

इस प्रकार फर्द मौका पर्चा के अनुसार वादीगण के पिता झूथा है, जिनके पिता को माधू एवं बींजा दोनों नामों से जाना जाता है, जिससे राजस्व रिकार्ड में झूंथा पुत्र बींजा दर्ज है जिससे यह पाया जाता है कि दोनों ही नामों से जाना जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में झूंथा पुत्र बींजा दर्ज कर दिया गया है, जिसकी ताईद उपस्थित मौतविरान ने मजमे आम फर्द मौक रिपोर्ट में की है, जिसको अब दुरूस्त किया जाकर झूंथा पुत्र माधू दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं तथा वादीगण ने झूंथा की मृत्यु होना जाहिर करते हुये वादीगण के नाम खातेदारी घोषणा दर्ज करवाने बाबत भी निवेदन किया है, जो भी स्वीकार योग्य उचित प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती हैं। इस

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बूंदी

Scanned by CamScanner

प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 70 के आराजी 5/1154 रकबा 06 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 06 बीघा वाके ग्राम पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में दर्ज झुथा पुत्र बींजा को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर झुथा पुत्र माधू दर्ज किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को आदेश दिया जाता है कि स्व0 झुथा के विधिक वारिशान की नियमानुसार जांच कर यदि वादीगण के अलावा स्व0 झुथा के अन्य वारिशान नही हो तो निर्णय व डिकी की पालना करवाया जाना सुनिश्चत करावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Scanned by CamScanner

[illegible]

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर • फोन : [illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.) मुकाम [illegible] (जयपुर)

रूपनारायण पुत्र [illegible] जाति माली [illegible] व अन्य, तह. [illegible] (जयपुर) बनाम [illegible], तहसील [illegible] (जयपुर)

दावा बावत शुद्धता व दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 25 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री त्रिलोकेन्द्र सिंह चौधरी

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू [illegible] सरकार

.... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर बहस्ब आराजी खाता संख्या 70 के आराजी [illegible] रकबा 0.6 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 0.6 बीघा वाके ग्राम [illegible], तहसील [illegible], जिला जयपुर में दर्ज [illegible] के स्थान पर [illegible] दर्ज किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वगैरह .... फीसदी ......ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 11 सन 2019 को

जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर (सहायक कलक्टर)

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प [illegible] सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner